13-6-16

— देवीसिंह सरकार

(उपस्थित) पत्रावली आज अन्य पक्ष को सू
दी जाकर न्याय आपके द्वार - राजस्व अभिय
में आयोजित शिविर स्थल - बडावली मे
प्रस्तुत हुयी। अन्य पक्ष को मजमे आम मे
शिविर में तीन बार आवाज दिलायी गयी
अन्य पक्ष उपस्थित।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर
पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण की ओर
से प्रार्थी संख्या 3 देवीसिंह ने स्वयं ने अपने
कथनो में जाहिर किया कि वाद ग्रस्त भूमि
मौरूसी / पैतृक कृषि भूमि है जो मूल पुरुष (पुर
खातेदारी किशोरसिंह से आयी है। उनके एक संतान
लालसिंह हुये जिनके तीन पुत्र रघुनाथसिंह, विजय
व तेजसिंह हुये। प्रार्थीगण सं. 1 से 4 रघुनाथ
के वारिसान है। प्रार्थीगण के पिता व दादा ने कभी
वादग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 1 व 2 को नही
फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षीगण भूमि
रिकार्ड एवं मौके की स्थिति बदलने पर तुले हुए
प्रार्थी की मौरूसी कृषि भूमि होकर मौके पर
अनुसार कब्जे काश्त चली आ रही है। प्रार्थी
मे घोषणा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का
पेश। जिसके निस्तारण मे समय लगे
तब तक विपक्षीगण परिवर्तन करलेंगे तो
-गण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी का
प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। अतः स्टे दिला
जावे।

विपक्षी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा से सहमत नही हुये। पक्षकारान
सुनकर पत्रावली का अवलोकन करने पर
कि वाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी की घो
बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद जै
है। विपक्षीगण

फर्द अहकाम बसंत स्टेशनरी, सलूम्बर Mob. 94147-37865

न्यायालय SDO, सराड़ा
नाथुसिंह विपक्षी विजयसिंह व अन्य
प्रा.पत्र. अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली संख्या 83 सन् 2011

कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये विपक्षीगण को मूलवाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा बड़ावली प्रार्थना पत्र में वर्णित कालम सं. 2 में आराजी नं. 155 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा हाल आराजी नं. 4163 रकबा 0.0700 आ.नं. 3351 की भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन न स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूल वाद के संलग्न हो। आदेश सुनाया गया।

(G.S. DEODA)
RAS
12/6/11
उप खण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला-उदयपुर